संख्या-1/2017/1415/44-1-2016-53/2016

प्रेषक,

श्री हरिराज किशोर,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम के प्रशासनिक
विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017**

विषय-वेतन समिति 2016 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स तथा अन्य भत्ते एवं सुविधाओं की स्वीकृति।

महोदय,

वेतन समिति, 2016 के प्रथम प्रतिवेदन में उपर्युक्त विषयक की गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिए गये है:-

(1) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन की वर्तमान में लागू व्यवस्था के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स की व्यवस्था दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संलग्न वेतन मैट्रिक्स (संलग्नक-1) के अनुसार सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 1105/44-1-2009-77/2009, दिनांक 16 अक्टूबर, 2009 की उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किया जाये:-

(i) अनुमन्यता के वर्ष के तीन वर्ष पूर्व के वर्ष तक के लेखे महालेखाकार से सम्पेक्षित (Audited) हो तथा यह ए0जी0एम0 द्वारा स्वीकार कर लिये गये हो।

(ii) उपक्रम /निगम जिनमें संचित हानि है, द्वारा उक्तानुसार तीन वर्षों में लगातार शुद्ध लाभ् अर्जित किया गया हो। सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तन्त्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग /सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

(iii) उपक्रम/निगम जिनमें संचित हानि नहीं है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपक्रम/निगम के प्रबन्ध तंत्र, शासन के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग तथा वित्त विभाग/ सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया गया हो कि उक्त उपक्रम/निगम वेतनमान पुनरीक्षण के फलस्वरूप आने वाले व्यय भार को वहन करने की स्थिति में हैं।

(iv) आयकर तथा अन्य केन्द्रिय कर, पेंशन अंशदान (ई0पी0एफ0) आदि तथा अन्य स्टेटयूटरी दायित्वों का नियमित भुगतान किया जा रहा हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) जो उपक्रम/निगम बी0आई0एफ0आर0 को सन्दर्भित है और उनके द्वारा पंजीकृत कर लिये गये है, वहां पर पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(vi) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

(2) ऐसे सार्वजनिक उपक्रम/निगम, जहां दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड की व्यवस्था लागू नहीं की गयी है और वह दिनांक 01 जनवरी, 1996 अथवा 01 जनवरी, 2006, जैसी भी स्थिति हो, से वेतनमानों का पुनरीक्षण काल्पनिक आधार पर मानते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स का लाभ उपर्युक्त प्रस्तर-1(1) की शर्तों एवं प्रतिबन्धों की पूर्ति पर अनुमन्य कराया जायेगा।

(3) राज्य कर्मचारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में वेतन निर्धारण एवं वार्षिक वेतनवृद्धियां अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों के लिए भी लागू किया जायेगा।

(4) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता अनुमन्य कराये जाने हेतु सार्वजनिक उद्यम विभाग ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की सूची उनकी वित्तीय स्थिति को संज्ञान में रखते हुए तैयार करेगा, जो राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त के भुगतान किये जाने से आने वाले अतिरिक्त व्यय भार को वहन करने में सक्षम है। इस सूची का पुनरावलोकन प्रत्येक दो वर्ष में अवश्य किया जायेगा। इस सूची के सार्वजनिक उपक्रमों/निगम के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ते की किश्त उनके संचालक मण्डल का अनुमोदन प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया जायेगा।

उपर्युक्त सूची से भिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों को राजकीय कर्मियों के सादृश्य महंगाई भत्ता सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2009 एवं 07 अक्टूबर, 2009 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार अनुमन्य कराये जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी।

(5) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के कार्मिकों को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में राज्य कर्मचारियों के सादृश्य महंगाई भत्ते को छोडकर वर्तमान में मिल रहे अन्य भत्ते/सुविधाओं को पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में यथावत बनाये रखा जायेगा।

(6) राजकीय कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में प्रभावी की गयी समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उपक्रमों/ निगमों के कार्मिकों पर इस प्रतिबन्ध के अधीन लागू किया जायेगा कि प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग की अध्यक्षता में पूर्व से गठित अधिकृत समिति द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इससे अतिरिक्त आने वाले व्यय भार को सम्बन्धित उपक्रम/निगम वहन करने में सक्षम है।

(7) सार्वजनिक उपक्रम/निगम के ऐसे कार्मिक जो प्रथम 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ए0सी0पी0 अथवा नियमित पदोन्नति के निर्धारित मापदण्ड को पूरा नहीं करते है, उन्हें आगे वार्षिक वेतनवृद्धियां स्वीकृत न की जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के ऐसे पद जिन पर राजकीय कर्मियों के समान पेंशन/अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ की सुविधा अनुमन्य है, उनकी पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभ, राज्य कर्मचारियों के लिए लागू व्यवस्था के अनुरूप अनुमन्य कराये जायेंगे। ऐसे कार्मिक, जिन्हें राजकीय कर्मियों से भिन्न पेंशन की सुविधा अनुमन्य है अथवा जिन्हें पेंशन की सुविधा अनुमन्य नहीं है, ऐसे कार्मिकों के लिए फिलहाल पूर्व से लागू व्यवस्था को यथावत बनाये रखा जायेगा।

(9) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की पदवार/संवर्गवार संस्तुतियां वित्त विभाग से अलग से प्राप्त होने पर यथासमय कार्यवाही की जायेगी।

(10) उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के फलस्वरूप देय अवशेष के भुगतान हेतु राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित व्यवस्था से आकर्षक व्यवस्था लागू नहीं की जायेगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु अपने नियन्त्रणाधीन निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल से प्रस्ताव प्राप्त कर सम्यक विचारोपरान्त उपर्युक्त प्रस्तरों में लिखित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक उद्यम/वित्त विभाग के परामर्श से आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार समिति की संस्तुतियों को लागू करने के फलस्वरूप यदि कोई असंगति अथवा व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो तो उनका निराकरण मा0 मुख्यमंत्री के आदेश प्राप्त कर किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2-2689/दस-2016, दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1/2017/1415(1)/44-1-2016-53/2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2 (03 प्रतियों में)
2- गोपन अनुभाग-1
3- सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-2/आडिट प्रकोष्ठ।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- निदेशक, सूचना एवं विशेष कार्याधिकारी, सूचना मुख्यमंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
6- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- सचिव, वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्याः वे0आ0-2-1432/दस-04(एम)/2016, दिनाक 16 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में मा0 मंत्रि-परिषद के आदेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2016 के अनुपालन में अपेक्षानुसार की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में।

आज्ञा से,

(हरिराज किशोर)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या– 1415/44–1–2016–53/2016 दिनांक 03 जनवरी, 2017 का संलग्नक–1

वेतन बैण्ड	5200–20200					9300–34800			
ग्रेड वेतन	1800	1900	2000	2400	2800	4200	4600	4800	5400
लेवल	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	18000	19900	21700	25500	29200	35400	44900	47600	53100
2	18500	20500	22400	26300	30100	36500	46200	49000	54700
3	19100	21100	23100	27100	31000	37600	47600	50500	56300
4	19700	21700	23800	27900	31900	38700	49000	52000	58000
5	20300	22400	24500	28700	32900	39900	50500	53600	59700
6	20900	23100	25200	29600	33900	41100	52000	55200	61500
7	21500	23800	26000	30500	34900	42300	53600	56900	63300
8	22100	24500	26800	31400	35900	43600	55200	58600	65200
9	22800	25200	27600	32300	37000	44900	56900	60400	67200
10	23500	26000	28400	33300	38100	46200	58600	62200	69200
11	24200	26800	29300	34300	39200	47600	60400	64100	71300
12	24900	27600	30200	35300	40400	49000	62200	66000	73400
13	25600	28400	31100	36400	41600	50500	64100	68000	75600
14	26400	29300	32000	37500	42800	52000	66000	70000	77900
15	27200	30200	33000	38600	44100	53600	68000	72100	80200
16	28000	31100	34000	39800	45400	55200	70000	74300	82600
17	28800	32000	35000	41000	46800	56900	72100	76500	85100
18	29700	33000	36100	42200	48200	58600	74300	78800	87700
19	30600	34000	37200	43500	49600	60400	76500	81200	90300
20	31500	35000	38300	44800	51100	62200	78800	83600	93000
21	32400	36100	39400	46100	52600	64100	81200	86100	95800
22	33400	37200	40600	47500	54200	66000	83600	88700	98700
23	34400	38300	41800	48900	55800	68000	86100	91400	101700
24	35400	39400	43100	50400	57500	70000	88700	94100	104800
25	36500	40600	44400	51900	59200	72100	91400	96900	107900
26	37600	41800	45700	53500	61000	74300	94100	99800	111100
27	38700	43100	47100	55100	62800	76500	96900	102800	114400
28	39900	44400	48500	56800	64700	78800	99800	105900	117800
29	41100	45700	50000	58500	66600	81200	102800	109100	121300
30	42300	47100	51500	60300	68600	83600	105900	112400	124900
31	43600	48500	53000	62100	70700	86100	109100	115800	128600
32	44900	50000	54600	64000	72800	88700	112400	119300	132500
33	46200	51500	56200	65900	75000	91400	115800	122900	136500
34	47600	53000	57900	67900	77300	94100	119300	126600	140600
35	49000	54600	59600	69900	79600	96900	122900	130400	144800
36	50500	56200	61400	72000	82000	99800	126600	134300	149100
37	52000	57900	63200	74200	84500	102800	130400	138300	153600
38	53600	59600	65100	76400	87000	105900	134300	142400	158200
39	55200	61400	67100	78700	89600	109100	138300	146700	162900

40	56900	63200	69100	81100	92300	112400	142400	151100	167800

15600–39100			37400–67000			67000–79000
5400	6600	7600	8700	8900	10000	
10	11	12	13	13क	14	15
56100	67700	78800	118500	131100	144200	182200
57800	69700	81200	122100	135000	148500	187700
59500	71800	83600	125800	139100	153000	193300
61300	74000	86100	129600	143300	157600	199100
63100	76200	88700	133500	147600	162300	205100
65000	78500	91400	137500	152000	167200	211300
67000	80900	94100	141600	156600	172200	217600
69000	83300	96900	145800	161300	177400	224100
71100	85800	99800	150200	166100	182700	
73200	88400	102800	154700	171100	188200	
75400	91100	105900	159300	176200	193800	
77700	93800	109100	164100	181500	199600	
80000	96600	112400	169000	186900	205600	
82400	99500	115800	174100	192500	211800	
84900	102500	119300	179300	198300	218200	
87400	105600	122900	184700	204200		
90000	108800	126600	190200	210300		
92700	112100	130400	195900	216600		
95500	115500	134300	201800			
98400	119000	138300	207900			
101400	122600	142400	214100			
104400	126300	146700				
107500	130100	151100				
110700	134000	155600				
114000	138000	160300				
117400	142100	165100				
120900	146400	170100				
124500	150800	175200				
128200	155300	180500				
132000	160000	185900				
136000	164800	191500				
140100	169700	197200				
144300	174800	203100				
148600	180000	209200				
153100	185400					
157700	191000					
162400	196700					
167300	202600					
172300	208700					
177500						